न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 83/2021 (उदयपुर डिक्री)

भैरूलाल पिता देवा जी तेली, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक
01.03.2015, प्रकरण सं0 10/2020

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 10–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चाटियाखेड़ी, तहसील गोगुन्दा में वादी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1067 रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका वादी पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादी का 60 वर्षो से कब्जा होने से वर्ष 1992 में एलोटमेन्ट कमेटी द्वारा उक्त भूमि उसे एलोट की गयी एवं नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 26–11–1992 से बाड़ा के नाम से भूमि एलोट की गयी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जबकि कब्जा आज भी वादी का ही चला आ रहा है। अतः विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज है। वादी भूमि पर कब्जा स्वयं सिद्ध करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:27 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 01–03–2021 से वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–11–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने तथा अपीलान्ट वृद्ध व बीमार होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं सका। दिनांक 28–09–2021 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सारा आदेश कयासी आधारों पर पारित किया है, जबकि किसी भी सूरत में अपीलान्ट को आवंटित भूमि बिलानाम दर्ज नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय को दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियां कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। वादग्रस्त भूमि पर मवेशी बांधने का बाड़ा बना हुआ है तथा लाईट व पानी का कनेक्शन लिया हुआ है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर वादी/अपीलान्ट को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है, अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:27 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि वादी/अपीलान्ट को उक्त भूमि अस्थायी बाड़े के रूप में आवंटित होकर गैर खातेदारी में दर्ज थी, जिसे तहसीलदार गोगन्दा के आदेश क्रमांक 1632 दिनांक 10–04–2023 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30–05–2003 से गैर खातेदारी से बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है तथा जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक 1144 दिनांक 26–02–2007 से बाड़ों के लिए आवंटित भूमि आवंटन नियम 1961 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–03–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** .....

भेरूलाल पिता देवा जी तेली, निवासी गोगुन्दा, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर *बनाम* **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर**

अपील नं॰.....**83 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**03**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.10**....माह.....**.07**....सन् **2024** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–03–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**07**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:27 IST
Reason: SelfAttested